मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

चर्चा में क्यों?

16 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ने के लिये 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' शुरू करने की मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा।
- इस योजना में विनिर्माण इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिये एक लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ मान्य की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज़ अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा।
- इस योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mukhya-mantri-udyam-kranti-yojana